संख्या-189 /2024/ 1701/001-1701-2024-23-10099-44-2024

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 10 दिसंबर, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक 2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मद में पुर्नविनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7344/बी0जी0/3बी0-14/2024 दिनांक 16.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-54 ले0शी0 2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन के अन्तर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मद में रू0 3400.00 लाख के पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 16.11.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 3400.00 लाख के पुर्नविनियोग के प्रस्ताव के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-54 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य 001-निदेशन और प्रशासन-04-कार्यकारी-01-वेतन से आवश्यकता की मद (अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-04-कार्यकारी-15-गाडियों का अनुरक्षण एवं मरम्मत में रू0 200.00 लाख, 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान में रू0 300.00 लाख, 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू0 100.00 लाख, 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 500.00 लाख तथा अनुदान सं0-54 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-03-निदेशन-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू0 200.00 लाख एवं 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 200.00 लाख के साथ ही अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-003-प्रशिक्षण-03-शिशुक्षु अधिनियम (संशोधन) 1973 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रशिक्षण की योजना-42 अन्य व्यय मद में रू0 100.00 लाख) अर्थात कुल रू0 1600.00 लाख का पुर्नविनियोग करते हुये उक्तानुसार धनराशि की संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2059800010300 (निदेशन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	054	2059800010300 निदेशन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
2	054	2059800010300 निदेशन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2059800010400 (कार्यकारी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	054	2059800010400 कार्यकारी	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
2	054	2059800010400 कार्यकारी	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
3	054	2059800010400 कार्यकारी	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	054	2059800010400 कार्यकारी	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
	कुल			**11,00,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2059800030300 (शिशिक्षु अधिनियम (संशोधन)1973 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी के प्रशिक्षण की योजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	054	2059800030300 शिशिक्षु अधिनियम (संशोधन)1973के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी के प्रशिक्षण की योजना	42 अन्य व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)**

महायोग	**16,00,00,000 (रुपये सोलह करोड़ मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-189/2024/1701(1)/001-1701-2024-23-10099-44-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में)/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।